न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—60 / 2025

प्रार्थी:—

बाबूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवसी पादरडी कल्ला तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण:—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :—

श्री गणपतसिंह गोलिया, अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 17.11.2025

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 27 रकबा 3.6238 हैक्टेयर भूमि ग्राम पादरडी कलां तहसील सिवाना में अवस्थित है उक्त भूमि में राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश प्रार्थी का नाम "बाबूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह" दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का वास्तविक नाम " बाबूसिंह पुत्र भंवरसिह " दर्ज है प्रार्थी के अन्य खातेदारी भूमियां खसरा संख्या 36,37,38,39,40 व 55 ग्राम पर्बतनगर व खसरा संख्या 287 व 288 ग्राम हरमलपुरा तहसील सिवाना मे प्रार्थी का वास्तविक नाम "बाबूसिंह पुत्र भंवरसिंह" दर्ज है। खसरा संख्या 27 रकबा 3.6238 हैक्टेयर भूमि ग्राम पादरडी कलां तहसील सिवाना की भूमि में प्रार्थी का नाम का अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। ग्रामीण सेवा शिविर 2025 के तहत दिनांक 17.10.2025 को ग्राम पंचायत पादरडी कल्ला में आयोजित शिविर में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में खसरा संख्या 36,37,38,39,40 व 55 ग्राम पर्बतनगर व खसरा संख्या 287 व 288 ग्राम हरमलपुरा की जमाबंदी , आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड तथा गोदनामा की प्रति आदि प्रस्तुत किये ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:44:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम ''बाबूसिंह पुत्र भंवरसिंह'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 27 रकबा 3.6238 हैक्टेयर भूमि ग्राम पादरड़ी कलां में प्रार्थी का नाम ''बाबूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी, प्रार्थी के अन्य खातेदारी भूमि खसरा संख्या 36,37,38,39,40 व 55 ग्राम पर्बतनगर व खसरा संख्या 287 व 288 ग्राम हरमलपुरा में प्रार्थी का वास्तविक नाम बाबूसिंह दत्तक पुत्र बलवन्तसिंह उर्फ भंवरसिंह'' दर्ज है। परन्तु ग्राम पादरडी कलां के खसरा संख्या 27 में प्रार्थी के दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड, परिवार राशनकार्ड, गोदनामा की छायाप्रति व खसरा संख्या 36,37,38,39,40 व 55 ग्राम पर्बतनगर व खसरा संख्या 287 व 288 ग्राम हरमलपुरा तहसील सिवाना आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''बाबूसिंह दत्तक पुत्र बलवन्तसिंह उर्फ भंवरसिंह'' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''बाबूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह ''दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''बाबूसिंह दत्तक पुत्र बलवन्तसिंह उर्फ भंवरसिंह'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पादरडी कलां तहसील सिवाना के खसरा संख्या 27 रकबा 3.6238 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''बाबूसिह पुत्र इन्द्रसिंह'' ''के स्थान पर ''बाबूसिंह दत्तक पुत्र बलवन्तसिंह उर्फ भंवरसिंह'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 17.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:44:09 IST
Reason: SelfAttested